



छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक

/वि.स./स्था./2025

रायपुर, दिनांक

/

/2025

// कार्यालय-सूचना //

आदेशानुसार, बुधवार, दिनांक 26 नवम्बर, 2025 को संविधान दिवस के अवसर पर भारत के संविधान की उद्देशिका (संलग्न) का समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पठन किया जाना है।

अतः दोपहर 12.00 बजे समस्त अधिकारी/कर्मचारी अपनी शाखाओं/कक्षों में ही संविधान की उद्देशिका का पठन करेंगे।

आदेश से,

संचालक

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ. क्रमांक 15078/वि.स./स्था./2025

रायपुर, दिनांक 26/11 /2025

प्रतिलिपि:-

01. मान.अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव को मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
02. मान.नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के विशेष सहायक को मान.नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ।
03. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के स्टॉफ ऑफिसर को सचिव महोदय के सूचनार्थ।
04. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, छ.ग.विधान सभा सचिवालय की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ।
05. सर्वर कक्ष।

प्रशासकीय अधिकारी
छत्तीसगढ़ विधान सभा

उद्देशिका

हम, भारत के लोग,

भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी
पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बनाने के लिए,
तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार,
अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में,

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता,
सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए
दृढसंकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख
26 नवम्बर 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत्
दो हजार छह विक्रमी) को एतद्वारा इस संविधान को
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।